निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 71/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. रवि मीणा पुत्र स्व॰ श्री रमेश मीणा
2. कुसुम मीणा पुत्री स्व॰ श्री रमेश मीणा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती मुन्नी देवी
3. मुन्नी देवी पत्नी स्व॰ श्री रमेश मीणा

जाति मीणा, निवासी ग्राम हरसुलिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर 45, राधा विहार कॉलोनी, गौशाला के सामने, सांगानेर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेश कुमार मीणा, RAS उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जयपुर।
2. बालू पुत्र सांवता
3. लछमा पत्नी बालू

जाति मीणा, निवासी ग्राम हरसुलिया, तहसील फागी, जिला जयपुर ग्रामीण।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 137/2023 ब उनवानी रवि मीणा बनाम लक्ष्मण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर जिला जयपुर (ग्रामीण)

उपस्थितः—

1. श्री रमेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से.।

निर्णय दिनांक 03.12.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष विचाराधीन के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 137/2023 ब उनवानी रवि मीणा बनाम लक्ष्मण दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, किन्तु कोई उपस्थित नही हुआ।
3. बस एक पक्षीय सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ करने में लगे हुये है तथा आये दिन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उनके चैम्बर में आते जाते रहते है, तथा उन पर राजनैतिक दबाव बनाकर प्रकरण का अपने पक्ष में निर्णित कराने को आमादा हो रहे है। वादीगण ने जब रीडर से उक्त प्रकरण के बारे में तारीख पेशी शीघ्र दिये जाने पर बातचीत की तो उन्होने कहा कि उक्त प्रकरण में

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

जो भी तारीख पेशी दी जा रही है वह साहब के आदेशानुसार ही दी जा रही है। प्रार्थीगण जब अदालत में हाजिर हुये तो अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से बाहर निकलते हुये आये तथा ऐनानिया धमकी दी कि हमारी साहब से बातचीत हो गयी है अब इस मुकदमे में शीघ्र ही निस्तारण हमारे पक्ष में हो जावेगा। प्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में गये एवं उनसे बातचीत की तो पीठासीन अधिकारी आगबबूला हो गये एवं कहां कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा तुम्हारे हिसाब से काम नही होगा। इसलिये प्रार्थी को न्याय की आशा नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य राजस्व न्यायालय के यहां मुन्तकिल किया जाना आवयश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. वकील प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)